

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/सुखभूत के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वातंत्र्य शिडनी लेवल आवासीय प्रयोजनाधी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 460 दिनांक 20/1/2020

पार्थी लक्ष्मी नारायण शर्मा डा० श्री सुभाष चन्द्र

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 95 ब्लॉक नगर

धारा 194 (2) (घ) के तहत आवासीय सौजन्य मयूरिया

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा

जरिये रसीद सख्या 2062/187, 188

दिनांक 20/1/2020 को जमा करा दी है ।

27/1/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

जी+)  
आवासीय

311  
नियोजक अमितानता (वादकरण)  
मुख्य अमितानता, परिवोजना  
नगर निगम, जोधपुर विभाग  
20/1/2020